मेरा विचार है कि मेरे इस सुझाव पर चाहे आज इस वक्त विचार नहीं किया जाए परन्तु मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री इस बात को अपने दिमाग में रखें। किसी दिन वह ऐसा सोच सकते हैं, कि जिससे कि इस सुझाव से कुछ वान्छित फल मिल सकता है।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि सामान्यतया पिछले दिनों ऐसी परम्परा रही है कि व्हिप केवल वास्तव में ही महत्वपूर्ण मामलो में ज़ारी किया जाए। साधारणतया इसका अर्थ है कि यदि ऐसे प्रस्तावों पर सरकार हार जाए तो उसे पद-त्याग करना पड़ेगा। व्यवहार में महत्वपूर्ण मामले का तात्पर्य है-धन विधेयक, अथवा अविश्वास प्रस्ताव अथवा स्थगन-प्रस्ताव अथवा और कोई अन्य विशेष महत्वपूर्ण मामले। प्रश्न उत्पन्न होता है कि कब कोई सदस्य अपनी पार्टी की इच्छाओं का पालन करने में असफल हो जाता है। मेरे विचार से अविश्वास प्रस्ताव अथवा धन विधेयक आदि और कुछ ऐसे ही मामलों, जिनकी वजह से सरकार गिर सकती हो, पर जारी किए गए व्हिप की अवहेलना करने परने पर ही ऐसा होता है मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इन दोनों बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए।

बल्कि मैं दलों के विलय के बारेमें भी कुछ कहना चाहूंगा। विलय भी उतना ही निन्दनीय है जितना विघटन। वह भी दल-बदल ही है। इस देश की परिस्थितियों के अनुसार दलों के विलय सामायिक ही हैं, इसलिए इसे दल-बदल नहीं माना जाना चाहिए।

इस विधेयक को सदन में लाने का निर्णय लेने के लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि प्रशासन को स्वच्छ बनाने में इससे निश्चय ही बहुत मदद मिलेगी। मैं उन अन्य मामलों के बारे में आज हवाला नही करूंगा जिनका प्रस्ताव प्रधान मंत्री ने स्वच्छ-प्रशासन में किया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, यह दल-बदल विरोधी विधेयक काफी अर्से से लंबित पड़ा है। मैं समझता हूं इसका जिक्र करीब सात वर्ष पूर्व किया गया था। हमने इसे प्रथम मुख्य कार्य के रूप में लिया है क्योंकि हमने महसूस किया कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। जैसाकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद के दौरान वायदा किया गया कि हमारी सरकार जो वायदा करती है, उसे पूरा करने की राजनीतिक इच्छा भी रखती है। हमने यह वायदा भी किया है कि हम विपक्ष को सदा साथ रखेंगे। महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने करीब-करीब समूचे विपक्ष को अपने साथ रखा केवल एक अथवा दो अपवाद हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने यह वायदा किया है कि हम सरकार को अपने साथ रखेंगे।

श्री राजीव गांधी : हम खंड 2(1) (ग) को समाप्त करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। खड 2(1)(ग) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उसे सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। यह तर्क संगत है कि यह खंड होना चाहिए था क्योंकि विपक्ष के एक सदस्य ने अभी कहा है कि यदि हम नैतिकता पर ध्यान दें और यह निर्णय करें कि दल एक मूलभूत यूनिट है जो किसी को निर्वाचित करती है, और यदि वह उस दल का सदस्य नहीं रहता तो वह उस चुनाव का अधिकार समाप्त हो जायेगा एक

अन्य सदस्य ने कहा कि दल-बदल में एक तिहाई सदस्यों के विभाजन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए यह बहुत कम है और इस विधेयक में ऐसी कई बातें हैं जो निराशाजनक हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे है जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है। और हमें देखना है कि हम यह रास्ता कितनी अच्छी तरह तय कर सकते हैं। अच्छा होगा यदि हम गंभीर त्रुटियां करने और बाद में उन पर पछतावा करने की बजाय उस रास्ते पर सावधानीपूर्वक चलें। अतः इस विधेयक में कई त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही हमें उन त्रुटियों का पता चलेगा हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। खंड 2(1) (ग) को समाप्त करने पर एक कमी सामने आती है और वह यह है कि यदि सदन—यह सदन अथवा विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है और दल बदल अथवा विभाजन होता है, अथवा उसे कैसे भी परिभाषित किया जाये, लेकिन सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है, तो अगला सत्र बुलाने से पहले काफी समय मिल जाता है और इसमें पर्याप्त दल-बदल हो सकता है। इसलिए खंड 2(1)(ग) रखा गया था। मुझे विश्वास है कि यही कारण था कि एक विपक्षी दल बहुत उत्सुक था और एक से अधिक दल अत्यन्त उत्सुक थे कि इस खंड को बने रहने दिया जाये। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यह कमी किस तरह समाप्त हो। हम इसी विधेयक में ऐसा नहीं कर पाये हैं। लेकिन विपक्ष के साथ मेरी जो चर्चा हुई है उनमें हमने एक तरीका निकाला है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और आशा है हम सरकार का बहुमत समाप्त होने के बाद उसके हटने और सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के बीच संभवतया न्यूनतम समय-सीमा निश्चित कर पायेंगे। हम देखेंगे कि क्या इसे इसी विधेयक में, भले ही अगले सत्र में, रखा जा सकता है अथवा इसे कहीं और प्रस्तुत करना होगा, हम इसे कहीं और भी रखा सकते हैं।

मैं सदन का अधिक समय नही लेना चाहता क्योंकि इस विधेयक पर न्यूनाधिक रुप से सभी का एकमत है और वाद-विवाद करने के लिए कुछ अधिक नहीं है।

एक मुद्दा यह उठाया गया कि इस विधेयक को लाने की जल्दी क्या है? हम यह विधेयक लाने के लिए 7 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और काफी नुकसान हो चुका है। यह विधेयक कल ही, पिछले वर्ष ही अथवा 7 वर्ष पूर्व ही लाया जाना चाहिए था। हम जितनी जल्दी ऐसा कर सकते है, कर रहें हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति यह विधेयक नहीं आने देना चाहते उन्हें अपनी निष्ठा की स्वयं परख करनी चाहिए।

महोदय, यह कहा गया है कि यह विधेयक कांग्रेस दल को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे सुदृढ बनाने के लिए लाया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि दल बदल प्रायः कांग्रेस पार्टी में आने के लिए होते हैं। उसे जाने के लिए नहीं। हमारी पार्टी में लोगों द्वारा पार्टी छोड़ दिये जाने की समस्या नहीं है। अपितु समस्या यह है कि लोग हमारे दल में आना चाहते हैं। हम पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए यह विधेयक लाना नहीं चाहते। आप हमारी पार्टी की शक्ति स्वयं देख सकते हैं।

श्री एच०एम० पटेल: आगे देखते हुए।

श्री राजीव गांधी: मैं आगे ही देख रहा हूं। विपक्ष की अधिकांश सीटों पर हमारे सदस्य हैं। 1990 में आप देखेंगे कि विपक्ष की इस कतार पर भी ज्यादातर हमारे ही सदस्य होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते: इसका कारण यह है कि कुछ वर्षों के बाद हम "राज्य सभा" में चले जायेंगे।

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमें उन्हें "राज्य सभा" में भेजने की जल्दी नहीं है । लेकिन हमें खुशी है कि वह यह मानते है कि उनके छोड़ने के बाद विपक्षी नेताओं की सीटों पर कांग्रेस के सदस्य होंगे ।

एक माननीय सदस्य : आप विपक्ष में होंगे ।

श्री राजीव गांधी : यह विधेयक हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की ओर हमारा पहला कदम है । हम चुनाव सुधार और अन्य प्रकार के सुधार करने के बारे में भी कदम उठायेंगे और महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता रहूं कि हमें जो निर्णय आगे लेने होंगे उसमें समूचे विपक्ष को अपने साथ रखेंगे ।

महोदय, मैं इस विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं । मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत करने में हमें सहयोग दिया तथा इसका समर्थन किया ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं सभा का, प्रधान मंत्री का और अपने दल के सदस्यों के प्रति आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को वास्तविक बनाने के लिए हमें भारी समर्थन दिया । इससे एक बार फिर हमारे लोकतन्त्र की परिपक्वता और स्थिरता सिद्ध हो गई है। शस्त्रों की होड़ और दलों की कलह के बीच जब राष्ट्र ने आह्वान किया, लोग अपने दलों की परवाह किए बिना तथा अपने मतभेदों को भुलाकर आगे आए और देश के आह्वान का समर्थन किया । मुझे याद है जब चीन ने हमला किया इसी सभा में हमारे स्वर्गीय नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकाल की घोषणा करते हुए जो शब्द कहे वह आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं : "यह हमारा सबसे अच्छा समय है । हम सब को मजबूत शिला की तरह स्थिर रहना है और इस घुसपैठ को रोकना है ।" और देश एक मजबूत शिला की तरह अटल रहा । विपक्ष यहां और हर जगह भारतीय झंडे के आसपास एकत्र हुए उस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर विजय चौक पर जो परेड निकाली गई वह मुझे आज भी याद है। जब समूचे विपक्षी दल ने हमारे महान नेताओं के साथ विजय चौक पर परेड में नंगे पांव मार्च किया । मुझे याद है जब 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और इंदिरा गांधी नें राष्ट्र को पुनः एकजुट होने के लिए आह्वान किया इस राष्ट्र ने मिलकर शस्त्रों की लड़ाई के बीच राष्ट्र के आह्वान का उत्तर दिया ।

अतः हमारी लोकतांत्रिक चेतना और राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व ने हम सभी को एक बार फिर एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री के आह्वान का, जिसका, अनुरोध उन्होंने इस महान देश के प्रशासन का भार संभालने के तुरंत बाद किया, कि यह विधेयक अंततः वास्तविकता होगी, समर्थन करने के लिए एकत्र कर दिया है । और यह वास्तविकता बन गई है ।

स्पष्टीकरण के लिए मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक के संबंध में कुछ गलतफहमियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं ।

कश्मीर से हमारे सहयोगी ने कश्मीर विधेयक के संबंध में पूछा है ।

कश्मीर का अपना संविधान है और उस संविधान में हमारे उदाहरण का अनुसरण किया गया है और वह भी बड़ी शीघ्रतापूर्वक, क्योंकि आपका वियधेक पूर्ण रूपेण नहीं है । न्यायालयों में जो आपके विवाद उठाये गये थे उनसे पता चलता है कि वहां जो विभाजन स्वीकार किया गया था, वह विभाजन एक तिहाई नहीं था अतः इस कानून का अनुसरण करने का प्रयास करें और इसे एक अच्छा कानून बनायें ।